न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–900 / 2026
(सुपौल थाना कांड सं0–943 / 2022)

	1. शशि कान्त कामत, पे0 कालेश्वर कामत 2. रेणु देवी, पति श्रीकान्त कामत 3. मानो देवी, पति शशि कान्त कामत सभी साकिन चैनसिंहपट्टी वार्ड नं0–08, थाना–सुपौल, जिला सुपौल .....अभियुक्त / आवेदकगण बनाम् बिहार राज्य.....विपक्षी	
16 / 06 / 26	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदकगण **(1) शशि कान्त कामत (2) रेणु देवी एवं (3) मानो देवी** की ओर से दाखिल किया गया है, जो सुपौल थाना कांड सं0–943 / 2022 अन्तर्गत धारा– 341, 323, 354, 307, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित नारायण झा अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 अबु जफ्र को सुना। अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुलिस ने अनुसंधानोपरांत धारा 341, 323, 354, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आवेदकगण एवं एक अन्य अभियुक्त को अनुप्रेषित दिखाते हुए शेष तीन अभियुक्त श्रीकान्त कामत, गौरी शंकर कामत एवं अनिल कामत को धारा 41 द0प्र0सं0 का लाभ देते हुए आरोप पत्र समर्पित किया था, लेकिन विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2023 को धारा 307 भा0द0वि0 में भी संज्ञान लिया गया। धारा 354, 307 भा0द0वि0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है। अभियुक्त आवेदकगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 अधिनियम के सभी नियम एवं शर्तो को मानने को तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। प्रस्तुत वाद सूचिका ललिता देवी के फर्द बयान के आधार पर संस्थित धारा – 341, 323, 324, 379, 307, 354बी, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत सुपौल थाना कांड सं0–943 / 2022 दिनांक 10.10.2022 दर्ज किया गया था। अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है "कि दिनांक 10.10.2022 दिन सोमवार समय करीब 6 बजे सुबह में सूचिका के घर पर अभियुक्त आवेदकगण सह अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, भाला, फरसा, खन्ती से लैश होकर आया और भद्दी– भद्दी गाली देने लगा तथा उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर श्रीकान्त कामत ने उसे पकड़कर जमीन पर घसीट घसीट कर बेनग्न कर मारपीट करने लगा एवं गौरीशंकर कामत ने अपने हाथ में लिये फरसा से उसके सर पर जान मारने की नियत से वार किया, जिसे उसका सर कट गया, खून बहने लगा तथा उसे बचाने उसके पति एवं उसकी पुत्री बबीता कुमारी आयी तो उसके पति एवं उसकी पुत्री को घेरकर लाठी, फरसा से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया एवं उसके गले से एक टकछड चॉदी का वजन 10 भरी कीमत 6000 रूपया का अनिल कामत ने छीन लिया तथा हल्ला पर आस पड़ोस के लोग आये और इनलोगों को बचाये।"	Contd

न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–900 / 2026
(सुपौल थाना कांड सं0–943 / 2022)

लगातार..... 16 / 06 / 26	उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि अभियुक्त आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा इनके विरूद्व सूचिका तथा उसके पति एवं पुत्री के साथ मारपीट करने का आरोप है। अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अभियुक्त आवेदकगण को अनुप्रेषित दिखाते हुये सह अभियुक्त श्रीकान्त कामत, गौरी शंकर कामत एवं अनिल कामत के विरूद्व धारा 341, 323, 354, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया था। यघपि विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरूद्व धारा– 341, 323, 354, 307, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। चूँकि अनुसंधानकर्त्ता को अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त के विरूद्व ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया, जिसे उसकी गिरफ्तारी किया जा सके। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त आवेदकगण **(1) शशि कान्त कामत (2) रेणु देवी एवं (3) मानो देवी** को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति / प्रस्तुति के 15 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् अभियुक्त आवेदकगण की ओर से मो0 10,000 / –रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर धारा 438(2) द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अधीन विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ने का आदेश जाता है, कि एक जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार या परिवार के सदस्य होगें। लेखापित –हस्ता0– (अनंत सिंह) प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल	